भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2654

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कन्नूर-स्थित मुजप्पिलंगड समुद्र तट के संरक्षण हेतु सहायता

†2654. श्री के. सुधाकरनः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कन्नूर स्थित एशिया का सबसे लंबा ड्राइव-इन समुद्र तट, मुजप्पिलंगड बीच, तीव्र तटीय कटाव और ज्वारीय बाढ़ के कारण गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, जिसे हाल ही में केरल में राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है;

(ख) इस स्थल पर "समुद्र-कटाव रोधी कार्यों" और "तटरेखा प्रबंधन" के लिए विशेषकर स्वदेश दर्शन 2.0 या सागरमाला योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय तकनीकी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्र तट के प्राकृतिक रूप से रेत के कठोर होने जैसे गुणों को नष्ट किए बिना ड्राइविंग ट्रैक की सुरक्षा के लिए "सॉफ्ट" इंजीनियरिंग समाधान (जैसे अपतटीय रीफ) लागू करने हेतु राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के साथ कोई संयुक्त अध्ययन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा मुजप्पिलंगड-धर्मादम क्षेत्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने और इसे एक उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय "समुद्री कटाव-रोधी कार्यों" और "तटरेखा प्रबंधन" हेतु तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना संचालित नहीं करता है। पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी मौजूदा योजनाओं, जैसे- 'स्वदेश दर्शन', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - एसडी के तहत एक पहल,

'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' आदि के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो को, योजना दिशानिर्देशों एवं सरकारी निर्देशों के अनुरूप, उनसे परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निधियों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सागरमाला योजना और सूक्ष्म प्लास्टिक जनित प्रदूषण के बढ़ते स्तर से संबंधित मुद्दों का प्रबन्धन पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। इस मंत्रालय ने तट की प्राकृतिक रेत-उसके कठोरता के गुणों को नष्ट किए बिना ड्राइविंग ट्रैक की सुरक्षा के लिए "सॉफ्ट" इंजीनियरिंग उपायों (जैसे अपतटीय चट्टानों) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के माध्यम से कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं और पहलों में स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है और स्थायी पर्यटन के सिद्धांतों, जैसे पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा केरल राज्य में एसडी, एसडी 2.0, सीबीडीडी और प्रशाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

श्री के. सुधाकरन द्वारा कन्नूर-स्थित मुजप्पिलंगड समुद्र तट के संरक्षण हेतु सहायता के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2654 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

केरल राज्य में स्वदेश दर्शन, एसडी 2.0, सीबीडीडी और प्रशाद योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

योजना	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
स्वदेश दर्शन	इको परिपथ 2015-16	पथनमथिट्टा – गावी – वागामोन - थेक्कडी का विकास	64.08
	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	सबरीमाला – एरुमेली – पम्पा - सन्निधानम का विकास	46.54
	आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	श्री पद्मनाभ अर्नामूला का विकास	78.08
	ग्रामीण परिपथ 2018-19	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35
	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	शिवगिरी श्री नारायण गुरु आश्रम - अरुवीपुरम - कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मनिया - चेम्बझंथी श्री नारायण गुरुकुलम का विकास	66.42
स्वदेश दर्शन 2.0	2024-25	अलाप्पुझा: ग्लोबल वॉटर वंडरलैंड	93.18
	2024-25	मलमपुझा गार्डन और लीजर पार्क में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना	75.87
	2023-24	कुमारकोम पक्षी अभयारण्य एक्सपीरियंस	13.81
सीबीडीडी	2024-25	वर्कला-दक्षिण काशी	25.00
	2024-25	थालास्सेरी: आध्यात्मिक जुड़ाव	25.00
प्रशाद	2016-17	गुरुवायूर मंदिर का विकास	45.19

*****